



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 कार्तिक 1942 (श०)

(सं० पटना 872) पटना, बुधवार, 11 नवम्बर 2020

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्वद

अधिसूचना

13 अगस्त 2020

सं० 798—श्री उग्रनाथ महादेव मन्दिर, ग्राम—भवानीपुर, अंचल—पंडौल, थाना—सकरी, जिला—मधुबनी पर्वद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या—4285 है।

इस न्यास की सुव्यवस्था एवं सुचारु प्रबंधन हेतु 11 सदस्यीय न्यास समिति का गठन दिनांक—04.09.2015 को किया गया था, परन्तु कुछ वर्ष बाद समिति के सचिव तथा कोषाध्यक्ष के बीच विवाद होने तथा एकदूसरे के ऊपर मन्दिर की सम्पत्ति के गबन का आरोप लगाया जाता रहा है। इस न्यास समिति के अध्यक्ष अंचलाधिकारी थे। दिनांक—29.11.2018 को पक्षों को विस्तार से सुना गया था, जिसमें सचिव द्वारा बैंक खातों में 12 लाख 40 हजार 364 रुपये तथा 03 लाख रुपये चन्दा व दुकान आदि विभिन्न स्त्रोंतों से प्राप्त नगद राशि अपने पास होने की बात स्वीकार किया था, उन्हें निर्देश दिया गया था कि उक्त राशि को मन्दिर के बैंक खाते में 02 दिनों के अन्दर जमा करें। सदस्यों द्वारा आपस में सहयोग नहीं करने तथा एकदूसरे पर आरोप लगाए जाने के आलोक में पूर्व न्यास समिति को भंग करने का निर्देश दिनांक—29.11.2018 को दिया गया था, साथ ही 11 धार्मिक व अच्छे चरित्र के व्यक्तियों के नामों की मांग अंचलाधिकारी से की गयी थी। मन्दिर में पूजा—पाठ कर रहे पुजारी विजय नारायण झा एवं उदय नारायण झा को पूजा—पाठ व मन्दिर मरम्मत आदि कार्य करने के लिए भी अंचलाधिकारी—सह—अध्यक्ष न्यास समिति से अनुमति लेकर करने का निर्देश दिया गया था। साथ ही कार्यरत न्यास समिति के सचिव और कोषाध्यक्ष को निर्देश दिया गया था कि समिति गठन हो जाने के उपरान्त मन्दिर से संबंधित सभी दस्तावेज, बैंक पासबुक तथा अबतक की आय और खर्च का हिसाब नयी न्यास समिति को अवश्य सौंप दें तथा मन्दिर की भूमि पर व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को भी किराये की राशि बैंक में जमा करने का निर्देश दिया गया था, उक्त के आलोक में अंचलाधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक—22.12.2019 द्वारा 11 नामों का प्रस्ताव पर्वद को उपलब्ध कराया, उक्त नामों का सत्यापन रिपोर्ट भी थाने से दिनांक—01.06.2020 को प्राप्त हो गयी है।

अतः मैं, अखिलेश कुमार जैन, अध्यक्ष, बिहार हिन्दु धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा 32 में धार्मिक न्यास पर्वद को प्रदत्त अधिकार, जो बिहार हिन्दु धार्मिक न्यास अधिनियम की उपविधि सं०—43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री उग्रनाथ महादेव मन्दिर, ग्राम—भवानीपुर, अंचल—पंडौल, थाना—सकरी, जिला—मधुबनी के सुचारु प्रबंधन, सम्पत्ति की सुरक्षा तथा सम्यक विकास हेतु नीचे लिखे योजना तथा इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

यो ज ना

1. अधिनियम की धारा 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम “श्री 108 उग्रनाथ महादेव मन्दिर (उगना मन्दिर), ग्राम-भवानीपुर, पो0-पंडौल, जिला-मधुबनी न्यास योजना” होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम “श्री उग्रनाथ महादेव मन्दिर (उगना मन्दिर), ग्राम-भवानीपुर, पो0-पंडौल, जिला-मधुबनी न्यास समिति” होगी जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति के संधारण, संरक्षण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. इस न्यास समिति का प्रमुख कर्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा, विकास एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा।
3. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।
4. न्यास समिति अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय-व्यय की विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्य वृत्त एवं पर्षद शुल्क आदि ससमय सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।
5. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलाई जायेगी और बैठक की कार्यवृत्त पर्षद को प्रेषित की जायेगी।
6. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद को अनुमोदन के लिए भेजेगी।
7. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि की वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
8. इस योजना में परिवर्तन, परिबर्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
9. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
10. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
11. न्यास समिति के सभी सदस्य सहयोग के साथ उक्त ऐतिहासिक मन्दिर के विकास हेतु कार्य करेंगे।
12. न्यास समिति के कोषाध्यक्ष एवं अध्यक्ष या सचिव के साथ संयुक्त खाता खोलकर मन्दिर से होने वाली सभी आय को बैंक में जमा करेंगे।
13. न्यास के सभी दुकानदार किराया सचिव को देंगे और उसकी रसीद प्राप्त करेंगे, रसीद की कार्बन प्रति कोषाध्यक्ष के पास सुरक्षित रहेगी और आवश्यकता पड़ने पर पर्षद के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। जो दुकानदार किराया नहीं देते हैं, उसके विरुद्ध अबिलम्ब हटाये जाने की कार्यवाही थाना के सहयोग से करेंगे।

उपर्युक्त योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति अस्थायी रूप से गठित की जाती है, बोर्ड के गठन के पश्चात् नियमित करने पर विचार किया जायेगा।

(1)	अंचलाधिकारी, पंडौल	—	अध्यक्ष
(2)	श्री अमरेन्द्र मोहन झा, पिता— स्व0 लीलाकान्त झा	—	उपाध्यक्ष
(3)	श्री गणेश नारायण ठाकुर, पिता— श्री हृदय नारायण ठाकुर	—	सचिव
(4)	श्री मोहन झा, पिता—स्व0 अनुप झा	—	कोषाध्यक्ष
(5)	श्री नरेन्द्र कुमार झा, पिता—स्व0 गुलाब झा,	—	सदस्य
(6)	श्री मुनचुन यादव, पिता— श्री सुखदेव यादव	—	सदस्य
(7)	श्री राजेन्द्र मंडल, पिता—स्व0 कंचन मंडल	—	सदस्य
(8)	श्री सज्जन महतो, पिता—स्व0 राजकुमार महतो	—	सदस्य
(9)	श्री राघवेन्द्र झा, पिता— स्व0 राजेन्द्र झा	—	सदस्य
(10)	श्री रामदेव दास, पिता—जनक दास	—	सदस्य
(11)	श्री जीवछ यादव, पिता—स्व0 बैद्यनाथ यादव	—	सदस्य

सभी साकिन-भवानीपुर, पो0-पंडौल, थाना-सकरी, जिला-मधुबनी

- नोट: (1) राजस्व अभिलेख में मन्दिर की सभी सम्पत्तियों का इन्द्राज "श्री उग्रनाथ महादेव मन्दिर, ग्राम-भवानीपुर, पो0-पंडौल, जिला-मधुबनी" के नाम पर ही रहेगा, इसमें किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर नामांतरण अथवा संशोधन नहीं होगा।
- (2) न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य न्यास की कोई भी सम्पत्ति/भूमि का हस्तान्तरण/बदलैन/बिक्रय/पट्टा/लीज आदि देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरुपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाई की जा सकती है।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 872-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>